विधान

(CONSTITUTION)

हरियाणा कश्यप राजपूत सभा

(रजि. नं. 184)

—: मुख्य कार्यालय :—

हरियाणा कश्यप राजपूत धर्मशाला

कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

मूल्य : 100.00 रुपये

ॐ



सप्तऋषि महर्षि कश्यप जी

1. **नाम** : इस सामाजिक संस्था का नाम हरियाणा कश्यप राजपूत सभा होगा।

2. **प्रधान कार्यालय** : इस संस्था का वर्तमान कार्यालय 'हरियाणा कश्यप राजपूत धर्मशाला, कुरूक्षेत्र' में होगा। भविष्य में आवश्यकता अनुसार हरियाणा तथा यू.टी. के किसी भी नगर में स्थानांतरण हो सकेगा।

3. **रचना प्रबन्ध** : हरियाणा में कश्यप राजपूत जाति की नुमायन्दगी करने वाली वाहिद जमात हरियाणा कश्यप राजपूत सभा होगी।

4. **कार्यक्षेत्र** : इस संस्था का कार्यक्षेत्र समस्त हरियाणा प्रदेश होगा तथा तमाम हिन्दुस्तान स्तर तक बनाया जा सकेगा।

5. **अवधि** : इस सभा की कार्यकाल की अवधि वित्तीय वर्ष अर्थात प्रथम अप्रैल से 31 मार्च तक के मानक पर तय होगी।

6. **चुनाव** : इसका चुनाव तीन साल के बाद किया जायेगा। इसकी अवधि हलात के मुताबिक आगे भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन, चुनाव कमेटी के चेयरमैन और सरपरस्त का कार्यकाल पांच वर्ष होगा, ताकि प्रदेश कार्यकारिणी बिना बाधा के अपना कार्य पूरा कर सके और अविलंब नई कार्यकारिणी के चुनावों की प्रक्रिया पूरी हो सके।

7. **संविधान में संशोधन की शक्ति** : संविधान की किसी भी धारा में संशोधन कार्यकारिणी के द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। आपात / विकट / विषम परिस्थितियों के बीच यदि ऐसा संभव न हो तो सरपरस्त सभा के आजीवन सदस्यों / बुद्धिजीवियों / समाजसेवियों / पूर्व पदाधिकारियों आदि की एक विशेष संशोधन कमेटी का गठन करेगा और समाजहित में कमेटी

द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर अपने विवेकानुसार निर्णय लेगा।

8. उद्देश्य : (क) कश्यप राजपूत बिरादरी में सहयोग तथा सद्भावना उत्पन्न करना तथा उनके उत्थान एवं भलाई के लिए एक सुसंगठित समाज का निर्माण करना।

(ख) इस संस्था की सामूहिक प्रगति के लिए हरियाणा कश्यप राजपूत सभा को वैधानिक स्तर पर पूर्ण अनुशासित करना।

(ग) कश्यप राजपूत बिरादरी से सम्बन्धित साहित्य को एकत्रित करना और उसका एक पुस्तकालय स्थापित करना तथा कश्यप राजपूत भाईयों के ज्ञान के लिए कोई दैनिक, साप्ताहिक व मासिक पत्रिका जारी करना।

(घ) दूसरे प्रांतों की कश्यप राजपूत सभाओं से जिनके ऐसे ही उद्देश्य हों, उनसे सम्बन्ध स्थापित करना।

(ड.) विधवाओं या अनाथों और ऐसे कश्यप राजपूत भाईयों को सहायता करना जो सहायता के योग्य समझे जायें।

(च) हरियाणा की दूसरी पिछड़ी जातियों का सहयोग प्राप्त करना और उन्हें सहयोग देना।

(छ) सामाजिक नियमों और सहकारी समितियों के द्वारा साधनों को अपना कर बिरादरी में से गरीबी को व बेरोजगारी दूर करने के लिये आवश्यकता अनुसार व्यवसाय तथा दस्तकारियां आदि स्थापित करना।

(ज) इस संस्था से सम्बन्धित शिक्षा केन्द्र तथा अन्य छात्रावास, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये धर्मशाला तथा धार्मिक स्थान स्थापित करना।

(ञ) हर स्थिति में सरकार को समय अनुसार हर प्रकार का सहयोग करना।

(ण) कश्यप राजपूत बिरादरी से भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक बुराईयों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, शादी के बाद लड़की को छोड़ देना या न भेजना इत्यादि को दूर करना।

(त) इस समाज के लड़के तथा लड़कियों को उच्चतम शिक्षा के लिये प्रोत्साहन देना तथा सभा की आर्थिक स्थितिनुसार सहायता प्रदान करना।

(थ) कश्यप राजपूत बिरादरी के भिन्न–भिन्न वर्गों का एकीकरण करना तथा इन्हें इस संस्था के अन्तर्गत लेना। इस संस्था को भारतीय स्तर पर बनाने का प्रयास करना।

(द) समय–समय पर ऐसे कार्य करना जो कि उक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हों।

(ध) उक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये पैसा इकट्ठा करना।

(न) इस समाज की महिलाओं को शिक्षित करना तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना।

(प) कश्यप राजपूत समाज की प्रदेश स्तर पर जनगणना करना।

(फ) बिना भूमि कृषि मजदूरों के लिये भूमि, बेघर बिरादरी भाईयों के लिए मकान प्राप्त करना और बेकारों के लिए रोजगार दिलाने का प्रयत्न करना और जरूरतमन्दों को सरकार से कर्जा दिलवाने में सहायता करना।

(घ) आपस में मेलजोल और सेवा का भाव उत्पन्न करना।

(च) बिरादरी के गबन किए गए धन और सामान की पूर्ति करवाने के लिए और भविष्य के लिए रोकने हेतु कार्यवाही करना।

(म) बिरादरी की हर प्रकार की सम्पत्ति को दुरूपयोग या व्यक्तिगत रूप में प्रयोग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करना।

(य) बिरादरी की सामाजिक आर्थिक और नैतिक उन्नति के लिए सरकार से सहायता लेना।

(र) बिरादरी की हर प्रकार की होने वाली हानि को रोकने के लिए कार्य करना।

(ल) बिरादरी के ऐतिहासिक सामाजिक एवं धार्मिक उत्सव मनाने के का कार्य करना।

9. सदस्यता :

(क) प्रत्येक हरियाणा निवासी–बालिग जो कश्यप राजपूत बिरादरी से सम्बन्ध रखता हो और इस विधान के नियमों का पालन करे वह इस सभा का सदस्य बन सकता है।

(ख) सदस्यता का फार्म प्रत्येक सदस्य को भरना होगा।

(ग) सदस्यता का फार्म मुख्य कार्यालय से जारी किया जाएगा।

(घ) सदस्यता का वार्षिक चन्दा अदा करना पड़ेगा।

(ड.) कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त नियमों को पूर्ण करता हो वह सभा

का आजन्म सदस्य बन सकता है. जिसका सदस्यता शुल्क 100 रूपये देना होगा।

(च) कोई भी सदस्य ऐसी किसी दूसरी सभा का मैम्बर नहीं बन सकता जो हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के सामान्तर हो और अगर वह इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(छ) सदस्यता सारे वर्ष खुली रहेगी जो कार्यकारिणी की मीटिंग चुनाव के लिये बुलाई जायेगी. इससे 15 दिन पहले सदस्यता भरी जा सकती है।

(ज) बालिग करार किया जाने के लिये कम से कम आयु पुरूष व स्त्री 18 वर्ष होगी।

नोट : जो सदस्यता से त्यागपत्र दे दे या खारिज कर दिया जाये यदि वह फिर से सदस्य बनने की प्रार्थना करे तो उसे प्रवेश शुल्क दोबारा देना पड़ेगा।

10. सदस्यता से हटाया जाना :

(अ) जो सदस्य तीन वर्ष तक चन्दा नहीं देगा. उसे सदस्यता से हटाया जा सकता है।

(ब) इसके विरूद्व किसी सभा ने या पदवीदार ने लिखित कार्यवाही करके विशेष समय के लिये सदस्य बनने से महरूम न किया हो।

(स) कोई भी सदस्य ऐसी दूसरी किसी सभा का मैम्बर नहीं बन सकता जो कश्यप राजपूत बिरादरी से सम्बन्धित होगी। दोषी की छानबीन करने बाद सदस्यता से निकाला जा सकता है।

(य) किसी सदस्य के विरुद्ध किसी सभा, मन्दिर व धर्मशाला के पैसे का हिसाब किताब रखता हो (कश्यप राजपूत सभा से सम्बन्धित हो) न देने से इन्कारी पर उसे सदस्यता से निकाला जा सकता है और सभा उसके साथ कानूनी कार्यवाही कर सकती है।

(ह) जो कोई सदस्य ऐसा काम करेगा, जिससे सभा की हानि होती हो, उसे सदस्यता से हटाया जा सकता है।

नोट : उपरोक्त सभी मामलों में धारा 35 की उपधारा (अ) की उपधारा (ब) और धारा 41 की उपधारा (क) के नियमों का पालन किया जाएगा

11. योग्यताएं :

1.सभा की आम सदस्यता के लिए योग्यताएं :

(अ) सदस्यता के लिये प्रवेश पत्र भर कर देना होगा।

(ब) वह हरियाणा का निवासी हो।

(स) उसकी आयु अठारह वर्ष व उससे ऊपर होनी चाहिए।

(द) वह हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के विकास पर विश्वास रखता हो और उसे एक लिखित हलफनामा उठाना होगा।

(ड) वह किसी सभा द्वारा दोषी करार न हो।

(ढ) उसे किसी सभा का पैसा ना देना हो।

नोट : धारा 11 (ड) व (ढ) में सभा का अभिप्राय हरियाणा कश्यप राजपूत सभा की किसी भी शाखा से है।

2. जिला प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं :

(अ) जिला प्रधान के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।

(आ) उम्मीदवार कम से कम तीन वर्ष से कश्यप समाज की सक्रिय सेवा / समाज के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी कर चुका हो या फिर लगातार तीन वर्ष से सभा का आम सदस्य रहा हो /राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर कोई गरिमामयी उपलब्धि या सम्मान हासिल किया हो।

(इ) उम्मीदवार कश्यप समाज के विधान में पूर्ण आस्था रखता हो और कश्यप समाज के कल्याण एवं विकास की दृढ़ इच्छा रखता हो।

(ई) कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

(उ) किसी राजनीतिक दल का प्रस्तावित / घोषित / विजयी उम्मीदवार न हो।

3. प्रदेश प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं :

(अ) उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।

(आ) कम से कम दसवीं पास हो।

(इ) कम से कम एक बार जिला प्रधान रह चुका हो/5 वर्ष तक कश्यप समाज की सक्रिय सेवा कर चुका हो/5 वर्ष तक निरन्तर सभा का आम सदस्य रहा हो /राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर कोई गरिमामयी उपलब्धि या सम्मान हासिल किया हो।

(ई) सभा के प्रदेश प्रधान का चुनाव सभा की कार्यकारिणी सर्वसम्मति से करेगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए दावा करते है तो कार्यकारिणी गुप्त मतदान से प्रदेश प्रधान का चुनाव करेगी। यह चुनाव चुनाव कमेटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा।

(उ) किसी राजनीतिक दल का प्रस्तावित/घोषित/विजयी उम्मीदवार न हो।

(ऊ) प्रदेश प्रधान के उम्मीदवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करना होगा और उसकी प्रिन्टिड/हस्तलिखित प्रति चुनाव कमेटी को उपलब्ध करवानी होगी।

(ऋ) प्रदेश प्रधान का उम्मीदवार अपने हित में चुनाव प्रचार के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र के प्रचार–प्रसार के लिए कोई भी तरीका अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. सरपरस्त बनने के लिए योग्यताएं :

(अ) उम्मीदवार की आयु कम से कम 40 वर्ष हो।

(आ) उम्मीदवार कम से कम 10 वर्ष तक कश्यप समाज की सक्रिय सेवा की हो/दो बार जिला प्रधान रह चुका हो/10 वर्ष से निरन्तर सभा का आम सदस्य रहा हो/राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर कोई गरिमामय उपलब्धि या सम्मान हासिल किया हो।

(इ) किसी राजनीतिक दल का प्रस्तावित/घोषित/विजयी उम्मीदवार न हो।

(ई) सरपरस्त का चुनाव सभा की कार्यकारिणी सर्वसम्मति से करेगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवार सरपरस्त बनने के लिए दावा करते हैं तो कार्यकारिणी गुप्त मतदान से सरपरस्त का चुनाव करेगी। यह चुनाव चुनाव कमेटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा।

5. चुनाव कमेटी चेयरमैन/सदस्य बनने के लिए योग्यताएं :

(अ) उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष हो।

(आ) कम से कम एक बार जिला प्रधान रह चुका हो/5 वर्ष तक कश्यप समाज की सक्रिय सेवा कर चुका हो/5 वर्ष तक निरन्तर सभा का आम सदस्य रहा हो /राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर कोई गरिमामयी उपलब्धि या सम्मान हासिल किया हो।

(इ) उम्मीदवार की आयु कम से कम 40 वर्ष हो।

(ड़) किसी राजनीतिक दल का प्रस्तावित / घोषित / विजयी उम्मीदवार न हो।

(ढ) चुनाव कमेटी सदस्यों का चुनाव सभा की कार्यकारिणी सर्वसम्मति से करेगी। निर्धारित संख्या से अधिक उम्मीदवार चुनाव कमेटी के सदस्य बनने के लिए दावा करते हैं तो कार्यकारिणी गुप्त मतदान से सदस्यों का चुनाव करेगी। यह चुनाव सभा के सरपरस्त / प्रदेश प्रधान की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा।

(ण) चुने गए चुनाव कमेटी के सदस्यों की सर्वसम्मति / गुप्त मतदान द्वारा चुनाव कमेटी के चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा।

12. प्रवेश शुल्क तथा सदस्यता शुल्क :

(1) प्रत्येक सदस्य को प्रवेश शुल्क या सदस्यता शुल्क दस रुपये देने होंगे। वार्षिक अवधि 31 मार्च तक होगी।

(2) स्थानीय सभा किसी व्यक्ति की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुये प्रवेश शुल्क तथा सदस्यता शुल्क में कमी कर सकती है।

(3) प्रवेश शुल्क एक बार देना होगा तथा सदस्यता शुल्क प्रत्येक वर्ष देना होगा।

(4) डैलीगेट शुल्क साधारण सदस्य की तरह होगा। लेकिन, उसकी डैलीगेट फीस अलग से पचास रुपये होगी। जो वार्षिक अदा करनी होगी।

13. डेलीगेट का चुनाव :

(1) एक डैलीगेट को कम से कम 25 मैम्बर बनाने होंगे। अगर किसी गाँव में 25 मैम्बर ना हो तो 11 मैम्बरों पर भी एक डैलीगेट हो सकता है। इसे अपनी <u>पचास रूपये</u> डैलीगेट फीस हर वर्ष अदा करनी होगी।

14. प्राथमिक संगठन :

(क) कम से कम पच्चीस सदस्यों का प्राथमिक संगठन माना जाएगा और अगर किसी गाँव में कम सदस्य हों तो 11 सदस्यों का भी हो सकता है। अगर 11 से भी कम हो तो पड़ौसी गाँव के सदस्यों को मिलाकर एक प्राथमिक संगठन बनाया जा सकता है।

(ख) प्राथमिक संगठन को अपना एक संगठन सचिव चुनना होगा, जो संगठन के प्रतिनिधि के रूप में उपमण्डलीय तथा जिला स्तर पर चुनाव में मतदाता होगा।

15. उपमण्डल संगठन शाखा : प्राथमिक संगठन के सचिव व उपमण्डल के डैलीगेटों के समूह को उपमण्डलीय संगठन कहा जायेगा। यही संगठन अपने अपने उपमण्डल के लिये प्रधान, उपप्रधान, मन्त्री और कोषाध्यक्ष चुनेगा। प्रधान तथा मन्त्री जिला कार्यकारिणी के सदस्य होंगे।

16. जिला संगठन शाखा : प्राथमिक संगठनों के प्रतिनिधि उपमण्डल के पदाधिकारियों तथा सभी डैलीगेटों के समूह जिला संगठन शाखा कहलायेगा। यही सदस्य जिले के लिये प्रधान, उपप्रधान, मन्त्री, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष चुनेंगे। आवश्यकता अनुसार दूसरे (अन्य) पद भी कार्यकारिणी की स्वीकृति से रखे जा सकेंगे। इसके प्रधान व मन्त्री प्रान्तीय शाखा के पदेन सदस्य होंगे।

17. प्रान्तीय संघ : प्राथमिक पदाधिकारियों से लेकर प्रांतीय संघ के प्रधान तक का समूह प्रान्तीय संघ कहलायेगा। इसके निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :–

(क) 1. प्रधान 2. मीत प्रधान 3. उप प्रधान 4. महामन्त्री 5. मन्त्री 6. संयुक्त मंत्री 7. कोषाध्यक्ष 8. सरपरस्त तथा 9. प्रचार मंत्री।

(ख) दो निरीक्षक (ऑडिटर) चुने जायेंगे जाकि संघ की सारी आमदनी तथा खर्च की पड़ताल करेंगे और इसकी रिपोर्ट आगामी अधिवेशन के समय देंगे। इनके लिये कार्यकारिणी की मीटिंग में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होगा तथा न ही कार्यकारिणी में इनको वोट का अधिकार होगा। परन्तु ये संघ के प्राथमिक सदस्य अवश्य होंगे।

(ग) प्रधान जी कार्यकारिणी की स्वीकृति से मुख्य परामर्शदाता भी नियुक्त कर सकेंगे।

18. केवल निम्नलिखित को ही सदस्य फार्म पूरे करवाने का अधिकार होगा :

(अ) ग्राम मण्डल के पदवीदार और अन्तरंग कमेटी के सदस्य।

(ण) वार्ड सभा, जिला सभा का प्रत्येक सदस्य।

(स) वह मनुष्य जिसे हरियाणा कश्यप राजपूत सभा ने नियुक्त किया हो और इसके पास इसका सर्टिफिकेट हो।

19. हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के पास जिलेवार संख्या का रिकार्ड छपे हुए रजिस्टरों में होगा।

20. मतदान का अधिकार :

प्राथमिक मतदाता या प्राथमिक सदस्य :— **धारा 9 में** वर्णित सदस्यता की शर्तें पूरी **करने** वाला व्यक्ति ही **प्राथमिक सदस्य** या प्राथमिक मतदाता माना जायेगा। 25 सदस्यों **द्वारा एक** प्रतिनिधि (प्राथमिक संगठन सचिव) चुना जायेगा। जो **जिला स्तर तक** मतदाता होगा।

21. उपमण्डलीय मतदाता : **प्राथमिक सचिव** व प्रान्तीय प्रतिनिधि (यदि वे हो तो) के उपमण्डल **के चुनाव में मतदाता** होंगे।

22. जिला मतदाता : धारा 21 में **वर्णित मतदाताओं के** अतिरिक्त उपमण्डल शाखा के पदाधिकारी **भी जिला शाखा के चुनाव में** मतदाता होंगे।

23. कार्यकारिणी का गठन : संघ के सभी स्तरों **पर** कार्यकारिणी समितियां गठित **होंगी**, जिनमें नीचे लिखे व्यक्ति **सम्मिलत होंगे** :

(क) **प्रान्तीय** पदाधिकारीगण।

(ख) उपमण्डल के प्रधान व मन्त्री व उनके **अधिकृत प्रतिनिधि।**

24. प्रान्तीय मतदाता : जिला व **उपमण्डल स्तर के** सभी पदाधिकारी व प्राथमिक सचिव, **प्रान्तीय स्तर के मतदाता होंगे।**

25. जिला कार्यकारिणी :

(क) जिला पदाधिकारीगण।

(ख) उपमण्डल के प्रधान व मन्त्री व उनके अधिकृत प्रतिनिधि।

26. उपमण्डल कार्यकारिणी :

(अ) उपमण्डल के पदाधिकारीगण।

मनोनीत सदस्य :– कई योग्य व्यक्ति चुनाव के झंझट में नहीं उलझना चाहते। उनको या किसी अन्य योग्य व्यक्ति को यदि कार्यकारिणी प्रतिनिधित्व देना चाहे तो उसकी स्वीकृति से प्रधान उनको मनोनीत कर सकता है। उनको निर्वाचित सदस्यों के बराबर सभी अधिकार प्राप्त होंगे। यह प्रक्रिया सभी स्तरों पर अपनाई जा सकेगी।

27. आमंत्रित सदस्य : प्रधान जी को किसी सम्मानित व्यक्ति को कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए बुलाने का अधिकार होगा, उसको विचार विमर्श में भाग लेने की पूर्ण छूट होगी। परन्तु मतदान का अधिकार नहीं होगा।

28. प्रान्तीय कार्यकारिणी के अधिकार :

(क) अन्तः प्रान्तीय या प्रान्तीय संगठनों से सम्बन्ध जोड़ना या तोड़ना।

(ख) वर्ष भर का बजट बनाना, कोई विशेष कोष खोलना तथा पदाधिकारियों का दैनिक भत्ता बढ़ाना या घटाना।

(ग) कर्मचारी नियुक्त करना या हटाना।

(घ) वर्तमान सभा का खर्चा पास करना।

(ङ) किसी रिक्त पद की पूर्ति करना व अयोग्य पदाधिकारी को हटाना।

(च) जिला शाखा के विरूद्ध अपीलें सुनना व निर्णय देना।

(छ) किसी विशेष समस्या को निपटाने के लिये उप समिति नियुक्त करना।

(ज) सभा का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिये वित्तीय सहायता जुटाना तथा सभा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये योजना बनाना तथा इसको लागू करना।

नोट : 1. प्रान्तीय कार्यकारिणी को धारा 28 की उपधारा क, ख, ग और घ के निर्णयों को सर्वसम्मति अथवा दो तिहाई बहुमत के साथ प्रस्ताव पास करके 'सरपरस्त' की स्वीकृति के लिए भेजना होगा।

2. उपधारा ङ और च के मामले में प्रदेश कार्यकारिणी की अध्यक्षता 'चुनाव कमेटी के चेयरमैन' करेंगे और सर्वसम्मति अथवा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके 'सरपरस्त' को भेजेंगे।

29. जिला कार्यकारिणी : जिला कार्यकारिणी को अपने क्षेत्र में प्रान्तीय कार्यकारिणी के अधिकारों की ही भांति अधिकार होंगे, किन्तु धारा 28 के क, ख भागों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा तथा धारा 28 के च भाग में जिला शाखा के स्थान पर उपमण्डल शाखा शब्द होगा।

30. उपमण्डल कार्यकारिणी : उपमण्डल कार्यकारिणी समितियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में धारा 28 च भाग में जिला शाखा शब्द के स्थान पर क्रमश: प्राथमिक संगठन शब्द होंगे।

31. कार्यकारिणी की सदस्यता समाप्ति : कार्यकारिणी सदस्यता निम्नलिखित कारणों से समाप्त होगी :

(क) सभा / संघ का सदस्य न रहने पर।

(ख) रूगणावस्था की स्थिति को छोड़कर लगातार तीन मीटिंगों में अनुपस्थित रहने पर।

(ग) 'आचार संहिता' के उल्लंघन के दोषारोपण के बाद उत्तर को सन्तोषजनक न घोषित करने के बाद कार्यकारिणी द्वारा स्पष्ट दो तिहाई मतों से उसकी सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यह प्रस्ताव 'चुनाव कमेटी' के चेयरमैन की अध्यक्षता में पारित किया जाएगा। पारित प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए 'सरपरस्त' के पास भेजा जाएगा।

(घ) प्रदेश प्रधान को हटाने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी के दो तिहाई सदस्यों को लिखित में अविश्वास प्रस्ताव चुनाव कमेटी के चेयरमैन को देना होगा। इस शर्त के पूरा होते ही चुनाव कमेटी प्रदेश प्रधान को हटाने के लिए सरपरस्त को सिफारिश करेगी।

(ङ.) चुनाव कमेटी / चेयरमैन अथवा किसी सदस्य को हटाने के लिए वाजिब कारणों के आधार पर प्रदेश प्रधान कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति / दो तिहाई बहुमत से पास करवाकर सरपरस्त को भेजेगा।

(च) सरपरस्त को हटाने के लिए प्रदेश प्रधान की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी को सर्वसम्मति / दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होगा और चुनाव कमेटी के चेयरमैन को भेजना होगा।

32. कार्यकारिणी की सभायें :

अवधि : (क) प्रधान की सलाह से महामन्त्री आवश्यकतानुसार कभी भी कार्यकारिणी की मीटिंग बुलवा सकेंगे। किसी भी कारण से दो मीटिंगों के बीच तीन मास से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

(ख) एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर कभी भी मीटिंग बुलाई जा सकेगी। यदि महामन्त्री एक तिहाई सदस्यों का अनुरोध न माने तो उन्हें किसी भी एक साथी को मिटिंग बुलाने का अधिकार देने का हक होगा और वह मीटिंग वैध मानी जाएगी।

33. सूचना का अधिकार :- (क) सभा अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार, 2005 कानून का पालन करेगी और सभा से जुड़े गोपनीय एवं संवेदनशील मामलों को छोड़कर अन्य किसी भी तरह की सूचना देना सुनिश्चित करेगी।

(ख) सूचना अधिकारी के सभी दायित्व सभा के प्रदेश प्रधान के अधीन होंगे।

(ग) मांगी गई सूचना को प्रदेश प्रधान स्वयं अथवा अपने महामंत्री के माध्यम से एक माह के अन्दर निवेदनकर्ता की मांगानुसार सीडी / फोटोकोपी / प्रिन्ट रूप में रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने के लिए बाध्य होगा।

(घ) सूचना के लिए 50 रूपये की फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रदेश प्रधान के नाम पर बनवाना होगा। सूचना से जुड़े किसी भी दस्तावेज की फोटोकोपी के लिये 5 रूपये प्रति पेज अलग से लगेंगे। सी.डी. के मामले में 20 रूपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

(ङ.) यदि प्रदेश प्रधान एक माह में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो इसकी शिकायत 'सरपरस्त' से की जा सकती है। सरपरस्त अपने विवेक से प्रदेश प्रधान को अलग से एक से दो सप्ताह का समय जवाब देने के लिए देगा। यदि इसके बावजूद प्रदेश प्रधान मांगी सूचना को उपलब्ध नहीं करवाता है तो यह सभा की आचार-संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और इसी के तहत सरपरस्त चुनाव कमेटी को आगामी कार्यवाही के लिए आदेश जारी कर सकता है।

34. **बैठक/सम्मेलन/अधिवेशन की सूचना** : **(क) सभी** सदस्यों के पास **एक सप्ताह** पहले सूचना देनी **होगी। मीटिंग** का स्थान, एजेण्डा, **तिथि व** समय भेजना **जरूरी है।**

(ख) तात्कालिक **विशेष परिस्थितियों** में दो दिन **पहले भी** सूचना सन्देश वाहक या तार **द्वारा भेजी** जायेगी।

(ग) प्रधान **जी या कार्यकारिणी** की अनुमति से **किसी भी** विषय को तुरन्त एजेण्डा **में शामिल किया** जा सकेगा।

35. **अधिकार** : **प्रत्येक** पदाधिकारी को अपने स्तर पर निम्नलिखित अधिकार होंगे :

(अ) प्रधान :

(क) **अपने** स्तर **की सभी बैठकों** का सभापति होगा।

(ख) **वैधानिक या तात्कालीक** बैठक **बुलाने** के लिए **महामन्त्री** को आदेश देना।

(ग) किसी भी विषय को तुरन्त एजेण्डा में शामिल कर सकेगा।

(घ) किसी भी भ्रष्ट पदाधिकारी या सदस्य के विरूद्ध शिकायत सुनना व आचार–संहिता का दोषी होने पर आवश्यक कार्यवाही करना। आवश्यक कार्यवाही के तौरपर प्रदेश प्रधान चुनाव कमेटी चेयरमैन को संबंधित आरोपी के खिलाफ कार्यकारिणी की बैठक लेने और सर्वसम्मति / दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करवाने का अनुरोध पत्र भेजेगा। चुनाव कमेटी चेयरमैन प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव को सरपरस्त के पास स्वीकृति के लिये भेजेगा।

(ड.) वित्त पर नियन्त्रण रखना. कोई भी रसीद जो प्रधान व महामन्त्री से सांख्याकिंत नहीं होगी. अवैध मानी जायेगी।

(च) कार्यकारिणी के निर्णय की घोषणा करना।

(छ) किसी विषय पर बराबर मत बट आने पर प्रधान जी अपने मत का प्रयोग किसी पक्ष में करके निर्णय दे सकेगा।

(ज) कार्यकारिणी के निर्णयनुसार बैठक स्थगित कर सकेगा।

(ट) प्रदेश प्रधान चुनाव कमेटी को छोड़कर अन्य सभी कमेटियों / समितियों का प्रधान होगा।

(ठ) चुनाव कमेटी का चुनाव प्रदेश प्रधान की अध्यक्षता में कार्यकारिणी सर्वसम्मति अथवा यथोचित प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा। चुने गये सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए सरपरस्त को अनुरोध पत्र भेजा जायेगा।

(ड) प्रदेश प्रधान सभा के महासम्मेलनों / समारोहों अथवा अन्य बड़े स्तर के कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि अथवा विशिष्ट अतिथि सभा से अलग अन्य राजनीतिकों / बुद्धिजीवियों / समाजसेवियों आदि को

कार्यकारिणी की सहमति से आमंत्रित करने का अधिकारी होगा।

(ढ) प्रदेश प्रधान किसी भी विषय पर कार्यकारिणी सर्वसम्मति/दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसकी स्वीकृति के लिए 'सरपरस्त' के पास भेज सकता है। इस प्रस्ताव को सरपरस्त स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। लेकिन सरपरस्त उस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए एक बार प्रदेश प्रधान को लौटा सकता है। यदि प्रदेश प्रधान पुनः उस प्रस्ताव को सरपरस्त के पास भेजता है तो सरपरस्त उस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाने के लिए बाध्य होगा।

(ण) सभा के सफल व सुचारू संचालन के लिए प्रदेश प्रधान जब भी आवश्यक समझे, किसी भी विषय में मदद के लिए किसी भी स्तर की कमेटी बना सकते हैं।

(त) प्रदेश प्रधान अपने विवेक से किसी भी सभा के पदाधिकारी को कोई भी अतिरिक्त प्रभार सौंप सकता है।

(थ) प्रदेश प्रधान मीडिया प्रभारी/प्रवक्ता/प्रचारक आदि की नियुक्ति अपनी इच्छानुसार कर सकता है और उनकी जिम्मेदारियां व कार्यकाल भी तय कर सकता है। इनके अपेक्षाओं पर खरा न उतरने पर प्रदेश प्रधान उन्हें हटाने और उनके स्थान पर अन्य को मौका देने के लिए शक्ति सम्पन्न होगा।

(द) प्रदेश प्रधान जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को सुविधानुसार कार्यक्रमों अथवा सामूहिक तौरपर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।

(ध) प्रदेश प्रधान एवं उसकी कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

नोट: (1) यदि प्रदेश प्रधान की अध्यक्षता में कार्यकारिणी के सदस्य बिना मतदान किए सर्वसम्मति से निर्विवादित रूप से कोई भी प्रस्ताव पास कर देते हैं तो चुनाव कमेटी के चेयरमैन को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। चुनाव कमेटी के चेयरमैन की तभी मदद ली जाएगी, जब किसी भी प्रस्ताव पर कार्यकारिणी के सदस्यों की सर्वसम्मति न बने और चुनाव करवाने की आवश्यकता पैदा हो जाए। अतः स्पष्ट है कि जिस भी प्रक्रिया में मतदान के जरिए निर्णय लेना होगा, तो मतदान प्रक्रिया चुनाव चेयरमैन कमेटी की अध्यक्षता में होगा और वही मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा। इसके बाद चेयरमैन के माध्यम से वह प्रस्ताव सरपरस्त के पास भेजा जाएगा।

(2) जब भी कार्यकारिणी सर्वसम्मति / मतदान पद्धति से दो तिहाई बहुमत के साथ कोई भी प्रस्ताव पारित करेगी, उसे स्वीकृति के लिए सीधे सरपरस्त को भेजा जा सकेगा और उस प्रस्ताव को सरपरस्त को स्वीकृति देनी ही होगी। यह दूसरी बात है कि सरपरस्त यदि आवश्यक समझे तो प्रस्ताव को एक बार पुनर्विचार के लिए कार्यकारिणी के पास वापस भेज सकता है। यदि वह प्रस्ताव पुनर्विचार के बाद भी ज्यों का त्यों वापस सरपरस्त के पास आता है तो सरपरस्त उस प्रस्ताव को हर हालत में स्वीकृत करेगा।

(3) जब भी किसी पदाधिकारी को हटाने अथवा नियुक्ति देने या फिर आचार संहिता उल्लंघन पर कोई भी निर्णय लेने का मौका आयेगा तो कार्यकारिणी की अध्यक्षता चुनाव कमेटी के चेयरमैन करेंगे और कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति / दो तिहाई बहुमत के जरिए पास किये जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु सरपरस्त को भेजेंगे।

(आ) उप प्रधान : प्रधान जी की अनुपस्थिति में उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(इ) महामन्त्री :

(क) प्रधान जी के आदेशानुसार सभा बुलाना।

(ख) सभा की कार्यवाही चलाना व पिछली कार्यवाही से अवगत कराना।

(ग) पत्र व्यवहार व डाक कार्य करना। टैलीफोन/मोबाईल पर सूचना देना।

(घ) शिष्ट मण्डलों की तिथि व समय निश्चित करना।

(ङ) संयुक्त मन्त्री व मन्त्री : महामन्त्री की सहायता करेंगे।

(ए) कोषाध्यक्ष :

(क) रसीद बुकों का लेखा जोखा रखना।

(ख) आय व्यय का हिसाब रखना।

(ग) प्रत्येक खर्चे की रसीद प्रधान तथा महामन्त्री व उप प्रधान किसी एक से सांक्ष्यांकित करवाना।

(ऐ) सरपरस्त : (1) सभा के कार्यों को जारी रखने और उद्देश्य को पूरा करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयास करना।
(2) सभा के उद्देश्य की सफलता के लिये सभा की आवश्यकता के समय उचित माली सहायता देना।

(3) केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार से बातचीत करने की आवश्यकताओं के समय समस्याओं का समाधान करना और बतौर पंच कर्त्तव्य को पूरा करना।

(4) सरपरस्त सभा का सर्वोच्च सम्मानित व्यक्ति होगा और उसकी प्रथम पदाधिकारी की हैसियत होगी।

(5) प्रदेश स्तरीय विशेष/आपातकालीन परिस्थितियों में बुलाई गई बैठकों और सभा के महाधिवेशनों की अध्यक्षता करना।

(6) प्रदेश कार्यकारिणी/चुनाव कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव को स्वीकृति देना और यदि आवश्यक लगे तो अपने विवेकानुसार उन्हें अपने प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने का मौका देना।

(7) सरपरस्त के पास आपातकालीन शक्ति होगी। विकट व विषम परिस्थितियों के बीच सरपरस्त आपातकाल बैठक बुला सकता है और अपने विवेकानुसार समाजहित में कोई भी समुचित निर्णय ले सकता है।

(8) आपातकालीन/विकट/विषम परिस्थितियों के बीच किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए सरपरस्त उप न्याय समिति से सलाह ले सकता है अलग से सलाहकार कमेटी बना सकता है अथवा कार्यकारिणी के सदस्यों से सुझाव ले सकता है।

(9) यदि सरपरस्त को यह लगे कि सभा का संचालन विधान के अनुरूप नहीं हो रहा है या सभा किन्हीं विषम/विकट परिस्थितियों में फंस गई है या फिर हर संभव प्रयास करने के बावजूद सभा का संचालन संवैधानिक रूप से होता न दिखाई दे तो वह अपनी आपातकालीन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सभा को भंग कर सकता है और अधिकतम छः माह के लिए सभा के संचालन हेतु कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है। इसके साथ ही इस छः माह की अवधि के दौरान नये सिरे से चुनाव करवाना और नई कार्यकारिणी का गठन सुनिश्चित करना भी सरपरस्त की जिम्मेदारी होगी।

(10) आपातकालीन / विकट / विषम परिस्थितियों के बीच सरपरस्त समाजहित में यदि संविधान संशोधन उचित समझे तो वह एक विशेष संविधान संशोधन कमेटी का गठन कर सकता है और कमेटी द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर अपने विवेकानुसार निर्णय ले सकता है।

(11) प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों और चुनाव कमेटी के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाना।

(12) सभा के संविधान की अनुपालना करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

(13) सभा के सदस्यों / पदाधिकारियों / कार्यकारिणी को समाजहित में आवश्यक दिशा–निर्देश, सुझाव अथवा मार्गदर्शन देने के लिए स्वतंत्र होंगे। इन पर अमल करना संबंधित सदस्य /पदाधिकारी / कार्यकारिणी के विवेक पर निर्भर करेगा।

(14) सरपरस्त का कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा, ताकि प्रदेश कार्यकारिणी बिना बाधा के अपना कार्य पूरा कर सके और अविलंब नई कार्यकारिणी के चुनावों की प्रक्रिया पूरी हो सके।

(ओ) चुनाव कमेटी / चेयरमैन :

(1.) सभा के किसी भी पद के चुनाव की प्रक्रिया चुनाव कमेटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में सम्पन्न होंगे।

(2) चुनाव कमेटी चेयरमैन सभा के प्रदेश प्रधान का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा जमा करवाए गए घोषणा–पत्र को सार्वजनिक करेगा और इसकी प्रति 10 रूपये में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा।

(3) चुनाव कमेटी को निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी।

(4) कमेटी किसी भी पद के उम्मीदवार की पात्रता की जांच करेगी और उसे चुनाव लड़ने के योग्य अथवा अयोग्य होने की लिखित सहमति देगी।

(5) चुनाव से पूर्व अथवा चुनाव के बाद यदि कोई उम्मीदवार का आचरण विधान के खिलाफ साबित होता है और चुनाव कमेटी चेयरमैन की अध्यक्षता में यदि कार्यकारिणी बहुमत से उस सदस्य के खिलाफ प्रस्ताव पास करती है तो चेयरमैन उस पदाधिकारी के खिलाफ आवश्यक कदम उठाएगा और उससे सरपरस्त को अवगत करवाएगा।

(6) चुनाव कमेटी का चेयरमैन किसी भी स्तर के विजेता उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और विजेता उम्मीदवार को 'विजयी प्रमाण पत्र' एवं 'पहचान पत्र' प्रदान करेंगे।।

(7) चुनाव कमेटी का चेयरमैन सरपरस्त को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।

(8) चुनाव कमेटी सभा की कार्यकारिणी से अलग स्वतंत्र रहेगी और प्रदेश प्रधान की बजाय सरपरस्त के प्रति जवाबदेह होगी।

(9) किसी भी पदाधिकारी को विजयी घोषित करने/बर्खास्त करने/आचार संहिता के दोषी पर कार्यवाही करने के लिए चुनाव कमेटी का चेयरमैन विधान के अनुरूप अपनी जिम्मेदारी निभाएगा।

(10) चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाले खर्च का भुगतान सभा के कोष से किया जाएगा।

(11) चुनाव कमेटी का कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा, ताकि प्रदेश कार्यकारिणी बिना बाधा के अपना कार्य पूरा कर सके और अविलंब नई कार्यकारिणी के चुनावों की प्रक्रिया पूरी हो सके।

36. आय : निम्नलिखित साधनों से सभा की आय हो सकेगी :–

(क) सहायता शुल्क।

(ख) सरकार द्वारा अनुदान या ऋण।

(ग) स्वागत राशि।

(घ) विशेष चन्दा तथा स्वेच्छा शुल्क।

(ङ) विशेष अनुदान।

37. व्यय : व्यय निम्नलिखित प्रकार से होगा :–

(क) स्टेशनरी व डाक खर्च।
(ख) इश्तिहार व पत्रिका आदि पर।

(ग) यात्रा भत्तों का खर्च।

(घ) कार्यकारिणी की विशेष अनुमति पर।

38. धन का बंटवारा : धन का बंटवारा इस प्रकार से होगा :–

(क) धारा 36 की (क) राशि का 1/2 (50 प्रतिशत) प्रान्तीय कोष में जायेगी तथा (ख) की सारी राशि प्रान्तीय कोष में जायेगी।

(ख) धारा 36 के कालम (घ), (ड.) के साधनों से होने वाली आय की राशि जिला तथा उपमण्डल को शत प्रतिशत जमा हो जायेगी। आवश्यकतानुसार उपमण्डल तथा जिला स्तर पर उचित शुल्क सदस्यों से प्राप्त किया जायेगा।

(ग) धारा 36 के (ग) भाग से जो स्वागत राशि आयेगी, वो खर्च काट कर प्रदेश को जायेगी वहां पर खर्च स्थानीय संघ करेगा। प्रवेश शुल्क राशि प्रान्तीय कोष में जायेगी।

(घ) प्रान्तीय व जिला स्तर के प्रधान, उप–प्रधान व महामन्त्री कोषाध्यक्ष प्रत्येक अपने पास 2000.00 रूपये से अधिक, उपमण्डल स्तर को उपरोक्त अधिकारी 1000.00 रूपये तथा प्राथमिक स्तर के अधिकारी 500.00 रूपये से अधिक की राशि अपने पास नहीं रख सकते। प्रान्तीय, जिला तथा उपमण्डल स्तर के प्रधान क्रमशः 1000.00 रूपये कोषाध्यक्ष 500.00 रूपये तथा 300.00 रूपये एक बार एक ही वस्तु पर खर्च करने का अधिकार रखेंगे। इससे अधिक शेष राशि डाकखाने या राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करवानी होगी।

39. राशि निकलवाना : प्रधान, कोषाध्यक्ष, महामन्त्री इनमें से कोई दो के हस्ताक्षर होने पर ही डाकखाने या बैंक से राशि निकल सकेगी। जिला व उपमण्डल महामन्त्री के स्थान पर मन्त्री के हस्ताक्षर होंगे।

40. (क) प्रधान, कोषाध्यक्ष महामन्त्री एक बार में 2000.00 रूपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते। अगर 2000.00 से अधिक खर्च करना है तो 2/3 (दो तिहाई) बहुमत से कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास करवाना होगा और वह प्रस्ताव जहां से पैसे निकलवाने है, वहां पर भेजना होगा, उपमण्डल तथा जिला स्तर से इसकी सूचना प्रदेश को भेजनी होगी।

(ख) अगर **10000.00** रूपये से अधिक **व्यय** करना है तो प्रदेश कार्यकारिणी से बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करवाकर चुनाव कमेटी के चेयरमैन के **माध्यम** से मन्जूरी लेनी **जरूरी है**।

41. अनुशासनात्मक कार्यवाही :

(क) **प्रत्येक स्तर की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को** किसी भी कार्यकारिणी **के सदस्य** का सन्तोषजनक उत्तर देना होगा. किसी सदस्य **या पदाधिकारी** के दोषी साबित होने पर **उसके** विरूद्ध अनुशासनात्मक **कारवाई** की जायेगी। **आवश्यक कार्यवाही के** तौरपर प्रदेश **प्रधान** चुनाव **कमेटी** चेयरमैन **को संबंधित आरोपी के** खिलाफ कार्यकारिणी **की बैठक** लेने और **सर्वसम्मति** / दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव **पारित करने** का अनुरोध पत्र **भेजेगा**। **चेयरमैन पारित** प्रस्ताव पर **सरपरस्त की** स्वीकृति लेगा।

नोट किसी सदस्य या पदाधिकारी के विरूद्ध शिकायत केवल लिखित रूप से मानी जायेगी।

(ख) **सभा की कार्यवाही** के **काम में रूकावट** डालने **वाले** सदस्य के विरूद्ध **भी कार्यकारिणी** अनुशासनात्मक कार्यवाही **कर सकेगी**।

(ग) **जब किसी** पदाधिकारी **व सदस्य** की तरफ **सभा** के रूपये **की** हेराफेरी का जुर्म होगा तथा **छानबीन** करने पर **कार्यकारिणी** उसके विरूद्ध **कार्यवाही** कर सकेगी. **जिसमें** धारा 35 की उपधारा (अ) की उपधारा (घ) और धारा 41 की उपधारा (क) के नियमों का पालन किया जाएगा

42. न्याय उप समिति : हर स्तर पर एक **न्याय** उप समिति होगी। इसके अध्यक्ष प्रधान जी होंगे. **वह** अपने **साथ** किसी चार

सदस्यों को ले सकते हैं। इसके निम्नलिखित **कर्त्तव्य होंगे** :

(क) छोटे मोटे **सामाजिक** झगड़ों का निपटारा करना।

(ख) **कार्यकारिणी** द्वारा समय समय पर बनाये **गये आचरण के** नियमों को लागू करवाने का प्रयत्न करना।

43. प्रचार समिति : इसके अध्यक्ष **महामन्त्री जी होंगे**, जिनके निम्नलिखित **कर्त्तव्य होंगे** :

(क) **कार्यवाही** छपवाना।

(ख) समाचार पत्रों को **सूचनायें** व ब्यान देना।

(ग) प्रचार **के अन्य** उपाय खोजना।

(घ) **मासिक** व पाक्षिक पत्रिका निकलवाना।

44. त्याग पत्र : **कोई भी सदस्य** या पदाधिकारी **अपना त्याग** पत्र अपने स्तर के **प्रधान को प्रस्तुत** कर सकेगा। **सभा का प्रदेश** प्रधान अपनी **कार्यकारिणी की** सलाह से त्यागपत्र को **स्वीकार या** अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है। लेकिन, **निर्णय होने तक उस** सदस्य को **अपना काम** चालू रखना होगा।

नोट : जिला स्तर को किसी भी पदाधिकारी का त्याग पत्र जिला स्तर की कार्यकारिणी अपने विचारों सहित प्रदेश को भेजेगी। इसके बाद उनका त्याग पत्र स्वीकार किया जायेगा। प्राथमिक स्तर पर यह त्याग पत्र प्रदेश प्रधान ही स्वीकार कर सकेगा। लेकिन उस त्यागपत्र पर औपचारिक वैधानिक मोहर तब लगेगी जब उसकी स्वीकृति चुनाव कमेटी के चेयरमैन के माध्यम से सरपरस्त दे देंगे। प्रदेश प्रधान एवं

कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत त्यागपत्र की स्वीकृति चुनाव कमेटी के चेयरमैन और सरपरस्त को देनी ही होगी। यह प्रक्रिया सभा की पूर्ण पारदर्शिता को बढ़ाने और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के सम्मान को बढ़ाने के लिए अपनाई जायेगी।

45. रिक्त स्थानों की पूर्ति : **यदि कोई पद किसी भी कारण से रिक्त हो गया है तो उसे प्रधान की कार्यकारिणी की स्वीकृति से भर देंगे।**

(क) **जिला स्तर** का पद **प्रदेश कार्यकारिणी के** अनुरोध पर चुनाव कमेटी के **चेयरमैन** की **स्वीकृति के बिना नहीं भरा** जा सकता।

46. रिक्त स्थान : **निम्नलिखित** कारणों से **पद रिक्त माना जायेगा** :—

(क) **त्याग पत्र** देने पर।

(ख) मृत्यु **होने पर**।

(ग) **कार्यकारिणी द्वारा पद से** हटाने पर।

(घ) **दूसरे प्रान्त** का निवासी **होने** पर।

47. मतदान द्वारा निर्णय : **सभी प्रस्तावों** व विवादों **का** निर्णय मतदान **द्वारा** होगा। **बहुमत प्राप्त** निर्णय ही लागू किया **जायेगा**। सामान्य **मत होने** पर **प्रधान का** मत **निर्णायक** होगा। **वह जिस** तरफ होगा, **उसको बहुमत पक्ष माना** जायेगा। **यदि कार्यकारिणी** के पदाधिकारी को हटाने **अथवा निरुक्त करने के प्रस्ताव** पर **मतदान** की आवश्यकता पड़ती है **तो वह** चुनाव **कमेटी के चेयरमैन** की **अध्यक्षता** में **सम्पन्न** होगा। शेष **अन्य विषयों** पर **प्रदेश प्रधान** अपनी **अध्यक्षता** में कार्यकारिणी की सर्वसम्मति/बहुमत से निर्णय ले सकता है और उसे

लागू कर सकता है। इस निर्णय से चुनाव कमेटी और सरपरस्त को अवगत करवाना प्रदेश प्रधान के लिए अनिवार्य होगा।

48. व्याख्या अधिकार : संविधान की किसी भी धारा की व्याख्या करने का अधिकार केवल प्रान्तीय कार्यकारिणी अथवा 'प्रथम संविधान संशोधन 2013' की कमेटी के सदस्यों को होगा। यदि कोई ऐसी समस्या आ जाये जिसका विधान द्वारा हल न खोजा जा सके तो कार्यकारिणी / सरपरस्त / चुनाव कमेटी चेयरमैन का निर्णय ही अन्तिम माना जायेगा तथा भविष्य के लिये उस विषय को संविधान में शामिल कर दिया जायेगा।

49. विधान संशोधन : सामान्य अधिवेशन को ही विधान में संशोधन का अधिकार होगा तथा उसमें वही संशोधन परिवर्तन हो सकेंगे जिन्हें प्रान्तीय कार्यकारिणी दो तिहाई मतों द्वारा पारित कर चुकी होगी। आपातकाल / विकट / विषम परिस्थितियों के बीच यदि ऐसा संभव न हो तो सरपरस्त सभा के आजीवन सदस्यों / बुद्धिजीवियों / समाजसेवियों / पूर्व पदाधिकारियों आदि की एक विशेष संशोधन कमेटी का गठन करेगा और समाजहित में कमेटी द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर अपने विवेकानुसार निर्णय लेगा।

50. सम्पति का अधिकार : सभा की चल अचल संपत्ति की अधिकृत मालिक हरियाणा कश्यप राजपूत सभा ही होगी। किसी व्यक्ति विशेष का उस पर कोई अधिकार न होगा। सभा के अधिकारी ही उसकी देखभाल कर सकेंगे तथा अपनी कार्य अवधि में व्यवस्थापक होंगे, बाद में नहीं।

51. कार्यालय : सभी स्तर की कार्यकारिणी सुविधानुसार अपना कार्यालय बना सकेंगी।

52. रजिस्टर आदि : सभा अपने रजिस्टरों व फाईलों की नियमित करेगी तथा इसके लिये समय समय पर खरीद करती रहेगी।

53. संघ का विघटन : संघ का विघटन नहीं होगा। अगर किसी कार्यवश संघ का कार्य ठीक ढंग से न चले तो सभा के जो आजीवन मैम्बर होंगे, वही इस संस्था को चलाएंगे। यदि ऐसा करना सहज संभव दिखाई न दे तो विधान की धारा 35 की उपधारा (ऐ) की उपधारा (9) लागू होगी।

54. आचार संहिता :

(1) सभी पदाधिकारी सभा के विधान के प्रति पूर्णतः समर्पित रहेंगे और उसका पूर्ण पालन करेंगे। सभी 'विधान' की हर प्रति को सुरक्षित रखेंगे और उसका अपमान नहीं होने देंगे।

(2) सभा के प्रत्येक पदाधिकारी और आम सदस्य विधान की पालना के लिए बाध्य होंगे।

(3) सभी पदाधिकारी व सदस्य अपने पद की गरिमा और शपथ का पूरा ध्यान रखेंगे और किसी तरह का असामाजिक/अनैतिक/गैर-कानूनी/अमर्यादित/गैर-जिम्मेदाराना आचरण करके उसे किसी तरह की कोई ठेस नहीं लगने देंगे।

(4) कोई भी पदाधिकारी किसी दूसरे पदाधिकारी के कार्यक्षेत्र में किसी तरह का कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह नम्र अनुरोध के साथ अपने सुझाव सम्बंधित पदाधिकारी को जरूर दे सकता है। यदि किसी पदाधिकारी को किसी अन्य पदाधिकारी अथवा सदस्य से किसी तरह की कोई शिकायत/परेशानी/आपत्ति है तो वह लिखित में अपने प्रदेश प्रधान को अवगत करवायेगा।

(5) कोई भी पदाधिकारी **या सदस्य** ऐसी किसी भी गतिविधि **में शामिल** नहीं होगा. **जो** सभा के **विधान व कश्यप समाज** के **सम्मान को** ठेस पहुंचाए।

(6) प्रत्येक **सदस्य** व **पदाधिकारी** किसी **भी बैठक या** सार्वजनिक स्थान / **कार्यक्रम में** एक–दूसरे को **सम्मानजनक शब्दों का** प्रयोग करेंगे **और अभद्र** / असभ्य / असंसदीय **शब्दों का** इस्तेमाल **किसी** भी सूरत **में नहीं करेंगे**। इसके **साथ** ही निजी / **घरेलू** / **व्यक्तिगत** अनावश्यक आक्षेप **लगाने से** पूर्ण परहेज करेंगे। **केवल** सामाजिक मुद्दों पर बेहतरी **के लिये** सभ्य भाषा **में** अपने **विचार** / सुझाव रखेंगे।

(7) कोई भी सदस्य या **पदाधिकारी अपनी** शिकायत अथवा आपत्ति सभ्य तरीके **से** और **शालीन शब्दों में अपने** सर्वोच्च प्रधान / प्रदेश प्रधान / चुनाव **कमेटी चेयरमैन** / सरपरस्त **को** लिखित / **मौखिक** रूप में कर सकता **है**।

(8) कोई **भी सदस्य** / पदाधिकारी किसी **भी** अन्य सदस्य / पदाधिकारी पर **संकीर्ण मानसिकता**. **विरोध** भावना. निजी स्वार्थपूर्ति **अथवा** अपमान करने **की मंशा के** साथ **मौखिक** रूप से कोई बेहूदा लांछन / आरोप नहीं लगाएगा **और** न ही **अभद्र** व्यवहार **करेगा**।

(9) सभा द्वारा विधान के अनुरूप लिए गए **हर निर्णय और** सरपरस्त द्वारा समाजहित **में** दिये **गये हर** निर्देश / सुझाव **अथवा** आपातकालीन शक्ति के **प्रयोग** का **सम्मान** करना **होगा और** उसका **पालन** करना होगा।

(10) कोई **भी सदस्य** / **पदाधिकारी** शराब / **नशे** का सेवन **करके** सभा **की** किसी **भी बैठक** / **कार्यक्रम** / **सम्मेलन या** गतिविधि **में भाग** नहीं लेगा।

(11) प्रत्येक पदाधिकारी विधान के अनुरूप अपने पद के सभी कर्त्तव्यों व दायित्वों को हर संभव कोशिश करके पूरा करेंगे। इसके साथ ही सभा द्वारा दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी को भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पूरा करेंगे।

(12) कोई भी सदस्य/पदाधिकारी भारत सरकार के संविधान और सभा के विधान के विरुद्ध काम नहीं करेगा और गैर–कानूनी व असामाजिक गतिविधियों से दूर रहेगा।

(13) सभी पदाधिकारी/सदस्य राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं सामाजिक सौहार्द बढ़ाने व उसकी उन्नति एवं प्रगति के लिए संकल्पबद्ध होंगे।

(14) आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारी/सदस्य को स्वयं त्यागपत्र देना पड़ेगा अथवा उसे प्रदेश प्रधान की सिफारिश पर चुनाव कमेटी चेयरमैन के माध्यम से सरपरस्त की स्वीकृति के साथ बर्खास्त कर दिया जायेगा।

(15) आचार संहिता के दोषी को अपना जवाब लिखित में देने के लिए लिखित में 'कारण बताओ नोटिस' के जरिए प्रदेश प्रधान/चुनाव कमेटी चेयरमैन/सरपरस्त (जिस वरिष्ठ पदाधिकारी के कार्यक्षेत्र से जुड़ा मामला हो), अपने विवेक से दो से चार सप्ताह का समय देगा। यदि आरोपी पदाधिकारी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जायेगा तो उस पर आचार–संहिता के उल्लंघन के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी।

55. वार्षिक अधिवेशन :

(1) सभा कार्यकारिणी के कार्यकाल के प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत एक वार्षिक अधिवेशन बुलाएगी और उसकी अध्यक्षता सरपरस्त/चुनाव

कमेटी चेयरमैन/प्रदेश प्रधान करेंगे। सरपरस्त की अनुपस्थिति में चुनाव कमेटी चेयरमैन और उनकी अनुपस्थिति में प्रदेश प्रधान इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे।

(2) इस वार्षिक अधिवेशन में प्रदेश व जिला कार्यकारिणियों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (पूरा लेखाजोखा) और सभी समितियों/इकाईयों की वार्षिक प्रगति उनके प्रधानों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

(3) इस वार्षिक अधिवेशन में कश्यप समाज के उन्नति, प्रगति एवं विकास के लिए सुझावों, प्रस्तावों आदि को रखा जायेगा और विधानानुसार समाज के समक्ष आई समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी स्तर के सामाजिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक या अन्य क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जायेगी और सर्वसम्मति से समुचित निर्णय लिये जाएंगे।

(4) इस वार्षिक अधिवेशन में प्रदेश कार्यकारिणी के प्रधान, जिला प्रधान एवं विभिन्न इकाईयों/समितियों के प्रधान अपने विचार रखने के अधिकारी होंगे।

(5) इस वार्षिक अधिवेशन का समापन अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पदाधिकारी (सरपरस्त/चुनाव कमेटी चेयरमैन/प्रदेश प्रधान) के अध्यक्षीय सम्बोधन के साथ होगा।

56. चुनाव घोषणा पत्र :

(1) सभा के प्रदेश प्रधान का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करना होगा।

(2) इस घोषणा–पत्र में उम्मीदवार अपने कार्यकाल के दौरान समाजहित

में प्रस्तावित कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों का उल्लेख करेंगे और उन्हें पूरा करने का संकल्प लेंगे।

(3) यह घोषणा–पत्र 'आचार संहिता' का हिस्सा होंगे।

(4) चुनाव जीतने वाले प्रधान को अपने 'चुनावी घोषणा पत्र' में प्रस्तावित कार्यक्रमों और गतिविधियों को अमल में लाना होगा और कार्यकाल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों का लेखाजोखा वार्षिक अधिवेशन में देना होगा।

(5) कार्यकाल के अंत में वार्षिक अधिवेशन में प्रधान के 'घोषणा–पत्र' एवं अन्य सामाजिक कार्यों व उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जायेगा। यदि मूल्यांकन में प्रधान का काम संतोषजनक साबित नहीं होता है तो 'चुनाव कमेटी चेयरमैन' अपने विवेकानुसार आगामी एक या दो चुनावों में उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

57. शपथ : सभा के प्रत्येक पदाधिकारी को पद ग्रहण करने से पहले निम्नलिखित शपथ लेनी होगी :

"मैं..........(अपना नाम लेंगे) ईश्वर और महर्षि कश्यप जी की शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं पूरी श्रद्धा एवं समर्पित भावना से सभा के विधान के अनुरूप अपनी हर जिम्मेवारी को पूरा करूंगा/करूंगी और अपने पद की गरिमा एवं सम्मान को बनाए रखुंगा/रखुंगी। मैं ऐसा कोई भी काम मन/वचन अथवा कर्म से नहीं करूंगा/करूंगी जिससे भारत सरकार के संविधान और हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के विधान व आचार–संहिता का उल्लंघन होता हो। मैं अपने पद पर रहते हुए समाज की एकता, अखण्डता एवं उन्नति के लिए हरसंभव प्रयत्न करूंगा/करूंगी।"

नोट : यह शपथ प्रदेश प्रधान को सरपरस्त दिलाएंगे और प्रदेश प्रधान अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों एवं जिला पदाधिकारियों को सभा की गरिमामय बैठक में व्यक्तिगत / सामूहिक तौरपर दिलाएंगे। सरपरस्त को चुनाव कमेटी का चेयरमैन और चुनाव कमेटी के चेयरमैन को सरपरस्त पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

ऊपर लिखित संविधान हरियाणा कश्यप राजपूत संविधान कमेटी जिसके चेयरमैन श्री दीना नाथ तंवर एडवोकेट चण्डीगढ़ है की अध्यक्षता में बनाया गया और 9.8.1976 को हरियाणा कश्यप राजपूतों की आम सभा में जो कि कश्यप राजपूतों की धर्मशाला मटक माजरी जुन्डला गेट में श्री चन्दन सिंह कश्यप खानपुर जिला सोनीपत की अध्यक्षता में हुई पास करके लागू किया गया। प्रथम संविधान संशोधन 2013 के जरिए मूल विधान को अधिक सरल, स्पष्ट, सहज और उपयोगी बनाया गया है।

नोट : कश्यप राजपूत बिरादरी में निम्नलिखित जातियां आती हैं :

धीवर, झींवर, झीमर, कहार, महार, तोमर, तुराहा, बाथम, मधवा, मुन्डियारी, मोले, धुड़ने, लांघी, रायकवार, सोध्यिा, मोर, कीर, कीयर, तीर–चाई– बाघ, वोट–मोरिया, बिनाकर, बथाकर, कालमीता, धूट, धुधानिया, मूर, धुई पुलिया, बगशारा, गौन्डीया, छोटी, गहदी, जीमर, जसवाल, निषाद, कोहली, कहार, मल्लाह इत्यादि इत्यादि। इसके अतिरिक्त और जातियां जो कश्यप राजपूत में आती हैं और इस समय वर्णित न की गई हों, यह विधान उन पर भी लागू होगा।

प्रथम संविधान संशोधन, 2013

हरियाणा कश्यप राजपूत सभा (रजि. 184) का यह प्रथम संविधान संशोधन है। संविधान में समय की माँग के अनुसार कुछ धाराओं में संशोधन एवं स्पष्टीकरण और कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जिन्हें 'रेखांकित' (Under Line) किया गया है। निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रथम संविधान संशोधन किया गया है :

1. सभा के मूल विधान की कुछ खामियों और धाराओं की अस्पष्टता के चलते सभा के संचालन में आ रही परेशानियों को दूर करना।

2. सभा के कार्यों और समाज के प्रति उत्तरदायित्वों में पारदर्शिता लाना।

3. पदाधिकारियों को अनुशासनबद्ध बनाना और निरंकुश प्रवृत्ति से बचाना। साथ ही सभी पदाधिकारियों का सम्मान सुनिश्चित करना।

4. सभा को संभावित आपातकाल / विकट / विषम परिस्थितियों से बचाने के लिये।

5. हरियाणा कश्यप राजपूत समाज के सर्वांगीण विकास, उन्नति, तरक्की एवं समृद्धि के लिए सभा की सहायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिये।

उपर्युक्त प्रयोजनों के उद्देश्य से दिनांक 00 / 00 / 2013 को श्री.......................की अध्यक्षता / मार्गदर्शन में छः सदस्यीय संविधान संशोधन कमेटी गठित की गई, जिसके सदस्य 1. श्री.............................. 2. श्री.......................3. श्री.......................4. श्री.......................और 5. श्री....................... थे। नेक उद्देश्यों और आशाओं के साथ यह संशोधित विधान हरियाणा कश्यप राजपूत सभा व समाज को समर्पित है।